सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

फाल्गुन 29, सोमवार, शाके 1944-मार्च 20, 2023
Phalguna 29, Monday , Saka 1944- March 20, 2023

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 09, 2023

संख्या एफ 10 (38) वन/89 पार्ट :-सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.10(38)वन/89 जयपुर, दिनांक 08 मार्च, 2022 में आंशिक संशोधन करते हुए 1 जनवरी, 2023 से 30 जून, 2023 की अवधि हेतु राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों या राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) अधिनियम 1974 की धारा-4 के अधीन नियुक्त क्रेताओं द्वारा राजकीय वनों तथा भूमियों से तेन्दू पत्ता संग्रहण करने के लिए लगाए गए व्यक्तियों को प्रति मानक बोरा (50,000 तेन्दू पत्ता बीडी बनाने योग्य) चुकाये जाने हेतु निम्नानुसार संग्रहण दर अधिसूचित की जाती है:-

क्र. स.	नाम संभाग	अधीनस्थ वन मण्डलों के नाम	निर्धारित संग्रहण दर प्रति मानक बोरा (रूपयों में)
1	संभाग कोटा	बूंदी, बारां एवं झालावाड़	1200/- प्रति मानक बोरा
2	संभाग उदयपुर	बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर (उत्तर), उदयपुर, प्रतापगढ़ एवं चित्तौडगढ़	1200/- प्रति मानक बोरा
3	संभाग अजमेर	भीलवाड़ा	1200/- प्रति मानक बोरा
4	संभाग जोधपुर	सिरोही एवं पाली	1200/- प्रति मानक बोरा
5	संभाग भरतपुर	धौलपुर	1200/- प्रति मानक बोरा

राज्यपाल के आदेश से,

वेंकटेश शर्मा,
शासन सचिव, वन।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।